

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 53/2022 – निगरानी

- | | | |
|---|------|---|
| 1. प्रभुलाल पिता चुन्नीलाल धाकड
निवासी सलावटिया तहसील
बिजौलिया जिला भीलवाडा | बनाम | 1. घनश्याम पिता उंकार धाकड निवासी
सलावटिया तहसील बिजौलिया |
| | | 2. श्रीमती धापू पत्नी उंकार धाकड
निवासी सलावटिया तहसील
बिजौलिया |
| | | 3. शंकरी पुत्री उंकार धाकड निवासी
सलावटिया तहसील बिजौलिया |
| | | 4. ग्राम पंचायत सलावटिया जरिये सचिव
ग्राम पंचायत सलावटिया तहसील
बिजौलिया जिला भीलवाडा |

—निगराकार

— गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत
सलावटिया पत्रावली संख्या 38/2033 निर्णय दिनांक 07.09.1983 पट्टा दिनांक

26.07.1984

उपस्थित –

1. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच, राकेश जैन अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 से
03 की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.10.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार प्रभुलाल व गैर निगराकार सं0 1 लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर स्व0 खेमा पिता धन्ना जी धाकड, निवासी सलावटिया के दो पुत्र उंकार व चुन्नीलाल हुए। निगराकार स्व0 चुन्नीलालजी का पुत्र है तथा गैर निगराकार सं0 1 से 3 उंकार जी के वारिसान है। ग्राम सलावटिया के आबादी क्षेत्र में पक्षकारान के पूर्वज खेमा पिता धन्ना जी धाकड को एक आवासीय भूखण्ड ग्राम पंचायत सलावटिया द्वारा पत्रावली सं0 12/2022 दिनांक 01.07.1965 करे प्रदत्त किया गया था। जिसकी राशि 65/- रू0 दिनांक 18.07.1965 को जमा होकर उसका पट्टा खेमा पिता धन्ना जी धाकड को दिया गया। खेमाजी की मृत्यु के बाद उक्त भूखण्ड उसके दोनों पुत्र उंकार व चुन्नीलाल ने आपसी विभाजन कर दक्षिण दिशा का भूखण्ड क्षेत्रफल करीब 39 फीट 83 फीट निगराकार के पिता



चुन्नीलालजी के हिस्से में उत्तर दिशा का भूखण्ड 39 फीट बाई 96 फीट गैर निगराकार सं० 1 से 3 के पूर्वज उंकार पिता खेमाजी के हिस्से में रहा, इसी अनुसार पक्षकारान उपयोग उपभोग कर निगराकार ने अपने भूखण्ड पर चार दुकानों का निर्माण कार्य करा चौतरफ पक्की 7 फीट उंची दिवार का निर्माण कार्य कर रखा है और विगत 30-35 वर्षों से इसी अनुसार काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है। गैर निगराकारान के पिता उंकार जी के उक्त जायदाद का एक आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत गैर निगराकार सं० 4 की पत्रावली क्रमांक 38/2033 दिनांक 19.09.83 को अकेले अपने नाम पर करवा लिया, जबकि उक्त भूखण्ड पक्षकारान का पुश्तैनी होकर आपसी विभाजन से अपने अपने हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है। ग्राम पंचायत, सलावटिया द्वारा कायम की गई पत्रावली सं० 38 सम्वत् 2033 और पारित निर्णय दिनांक 07.09.83 सर्वथा विधि विपरीत, मिलीभगत व नियमों की सर्वथा अनदेखी कर पारित किया गया होकर निरस्त योग्य है। उक्त भूखण्ड बाबत पत्रावली सं० 12/2022 से दिनांक 01.07.1965 को पक्षकारान के पूर्वज खेमा पिता धन्ना जी धाकड के नाम से पूर्व से बापी पट्टा जारी था, इस प्रकार स्वामित्व विलेख के होते हुए अकारण ही ग्राम पंचायत के आलौच्य निर्णय व पत्रावली कायम कर नियमों की अनदेखी की है। उंकार पिता खेमाजी धाकड चूंकि बड़े पुत्र थे और सभी कार्य उनके द्वारा सम्पादित होते थे, इस कारण उन्होने ग्राम पंचायत को प्रभावित कर उक्त आलौच्य पत्रावली कायम करने से पूर्व एक पत्रावली सं० 2/2022 दिनांक 04.04.1965 को भी कायम कर अपने नाम पर इसी भूखण्ड का एक पट्टा जारी करवाया था। इस प्रकार एक ही भूखण्ड के दिनांक 01.07.1965, 04.04.1965 व 09.11.1976 को पत्रावलियां अलग अलग कायम करना सर्वथा विधि विपरीत होकर नियमों की अनदेखी होने के अलावा गैर निगराकारान को लाभांवित करने का उद्देश्य रहा है, जिससे पारित किया गया आलौच्य निर्णय व जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य है। आलौच्य निर्णय भूमि विक्रय की पत्रावली बाबत नहीं था। यह प्रकरण आबादी भूमि में अवैध कब्जा व मकान के बाबत धारा 27(1) के तहत की जाने वाली प्रशासनिक कार्यवाही थी, जो इंतजामी पत्रावली के रूप में कायम हुई, जिसकी रिपोर्ट पर पत्रावली इन्तजामी पत्रावली के रूप में कायम हुई, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 01.07.1976 को तत्कालीन पंचायत कर्मचारी मोहनलाल नाई की रिपोर्ट पर पत्रावली इन्ताजामी कायम की गई थी और उसके जवाब में गैर निगराकार के पूर्वज उंकारलाल ने जवाब पेश करते हुए पूर्व के पट्टे की नकल पेश की थी। इस प्रकार यह स्थापित तथ्य था कि उक्त भूखण्ड का स्वामित्व विलेख पूर्व से ही जारीशुदा




13/10
अति जिला कलेक्टर
मीरठ

था, इसके उपरांत पुनः पत्रावली कायम की जाकर आलौच्य निर्णय व पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। उंकार पिता खेमा जी धाकड ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर पूर्व के जारीशुदा भूखण्ड क्षेत्रफल 1652 मुरब्बागज व 6400 वर्गफीट पूर्व की पट्टे की भूमि को इस स्वामित्व विलेख में मिलाने का आदेश पारित करते हुए यह पट्टा विलेख जारी करवाया है, जबकि उक्त सभी भूखण्ड एक ही स्थान को होकर उंकारलालजी के पिता खेमा पिता धन्ना जी के स्वामित्व के भूखण्ड थे, जिस पर निगराकार के पिता चुन्नीलाल का बराबर हक हिस्सा होकर उसके पिता के समय से ही जरिये विभाजन उपयोग उपभोग में चला आ रहा था, इस तथ्य की सर्वथा अनदेखी करते हुए पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानों व नियमों की अवहेलना कर आलौच्य निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। निगराकार का उक्त भूखण्ड के दक्षिणी आधे हिस्से पर कब्जा होकर दुकाने निर्मित हो व्यवसाय जारी है तथा गैर निगराकारान सं० 1 लगायत 3 के हिस्से का भूखण्ड मौके पर पडत खाली पडा हुआ है, जिस पर गैर निगराकार सं० 1 लगायत 3 का कब्जा है। ग्राम पंचायत ने आपत्तियां आमंत्रित करने की औपचारिकता पूरी की है, वास्तविक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तियां आमंत्रित करने बाबत कोई चस्पानगी नहीं की गई। इसी प्रकार मौका निरीक्षण की कार्यवाही भी मौके की स्थिति को बिना देखे की गई है, इस हेतु पत्रावली में किसी प्रकार का कोई उचित आदेश पारित नहीं हुआ है और न ही इस बाबत ग्राम पंचायत के पंच और सचिव की कोई कमेटी मौका निरीक्षण हेतु बनाई गई है। इस प्रकार केवल पत्रावली की खानापूर्ति कर निगराकार को नुकसान पहुंचाने की गरज से व गैर निगराकारान के पूर्वज को लाभांवित करने व उनके प्रभाव में आकर यह निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं० 4 का निर्णय दिनांक 07.09.1983 बाबत पत्रावली सं० 38/2033 जिसके तहत बापी पट्टा दिनांक 26.07.84 को जारी किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी प्रकरण न्यायालय मे दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण मे उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि निगराकार प्रभुलाल व गैर निगराकार सं० 1 लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर स्व० खेमा पिता धन्ना जी धाकड, निवासी सलावटिया के दो पुत्र उंकार व

अति  13.10
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

चुन्नीलाल हुए। निगराकार स्व० चुन्नीलालजी का पुत्र है तथा गैर निगराकार सं० 1 से 3 उंकार जी के वारिसान है। ग्राम सलावटिया के आबादी क्षेत्र में पक्षकारान के पूर्वज खेमा पिता धन्ना जी धाकड को एक आवासीय भूखण्ड ग्राम पंचायत सलावटिया द्वारा पत्रावली सं० 12/2022 दिनांक 01.07.1965 करे प्रदत्त किया गया था। जिसकी राशि 65/- रू० दिनांक 18.07.1965 को जमा होकर उसका पट्टा खेमा पिता धन्ना जी धाकड को दिया गया। खेमाजी की मृत्यु के बाद उक्त भूखण्ड उसके दोनों पुत्र उंकार व चुन्नीलाल ने आपसी विभाजन कर दक्षिण दिशा का भूखण्ड क्षेत्रफल करीब 39 फीट 83 फीट निगराकार के पिता चुन्नीलालजी के हिस्से में उत्तर दिशा का भूखण्ड 39 फीट बाई 96 फीट गैर निगराकार सं० 1 से 3 के पूर्वज उंकार पिता खेमाजी के हिस्से में रहा, इसी अनुसार पक्षकारान उपयोग उपभोग कर निगराकार ने अपने भूखण्ड पर चार दुकानों का निर्माण कार्य करा चौतरफ पक्की 7 फीट उंची दिवार का निर्माण कार्य कर रखा है और विगत 30-35 वर्षों से इसी अनुसार काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है। गैर निगराकारान के पिता उंकार जी के उक्त जायदाद का एक आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत गैर निगराकार सं० 4 की पत्रावली क्रमांक 38/2033 दिनांक 19.09.83 को अकेले अपने नाम पर करवा लिया, जबकि उक्त भूखण्ड पक्षकारान का पुश्तैनी होकर आपसी विभाजन से अपने अपने हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है। उंकार पिता खेमाजी धाकड चूंकि बड़े पुत्र थे और सभी कार्य उनके द्वारा सम्पादित होते थे, इस कारण उन्होंने ग्राम पंचायत को प्रभावित कर उक्त आलौच्य पत्रावली कायम करने से पूर्व एक पत्रावली सं० 2/2022 दिनांक 04.04.1965 को भी कायम कर अपने नाम पर इसी भूखण्ड का एक पट्टा जारी करवाया था। इस प्रकार एक ही भूखण्ड के दिनांक 01.07.1965, 04.04.1965 व 09.11.1976 को पत्रावलियां अलग अलग कायम करना सर्वथा विधि विपरीत होकर नियमों की अनदेखी होने के अलावा गैर निगराकारान को लाभांनित करने का उद्देश्य रहा है, जिससे पारित किया गया आलौच्य निर्णय व जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य है। आलौच्य निर्णय भूमि विक्रय की पत्रावली बाबत नहीं था। यह प्रकरण आबादी भूमि में अवैध कब्जा व मकान के बाबत धारा 27(1) के तहत की जाने वाली प्रशासनिक कार्यवाही थी, जो इंतजामी पत्रावली के रूप में कायम हुई, जिसकी रिपोर्ट पर पत्रावली इन्तजामी पत्रावली के रूप में कायम हुई, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 01.07.1976 को तत्कालीन पंचायत कर्मचारी मोहनलाल नाई की रिपोर्ट पर पत्रावली इन्तजामी कायम की गई थी और उसके जवाब में गैर निगराकार के पूर्वज उंकारलाल ने जवाब पेश करते हुए पूर्व के पट्टे की नकल पेश




अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

की थी। इस प्रकार यह स्थापित तथ्य था कि उक्त भूखण्ड का स्वामित्व विलेख पूर्व से ही जारीशुदा था, इसके उपरांत पुनः पत्रावली कायम की जाकर आलौच्य निर्णय व पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं० 4 का निर्णय दिनांक 07.09.1983 बाबत पत्रावली सं० 38/2033 जिसके तहत बापी पट्टा दिनांक 26.07.84 को जारी किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगराकार संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि खेमा जी के देहावसान के बाद उनके दोनों पुत्रों ने मौखिक तौर खेमा जी के जीवनकाल में ही विभाजन हो गया था और गैर निगराकार के नाम पर जारीशुदा पट्टा दिनांक 01.07.1965 का है और करीबन 58 वर्ष बाद जिसे आधार बनाया जाकर केवल मात्र दबाव बनाने के लिहाज से यह निगरानी न्यायालय प्रस्तुत की गई है। निगराकार ने अन्य कोई कानूनी आधार इस निगरानी में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा कायम पत्रावली सं० 38/2033 और पारित निर्णय दिनांक 07.09.1983 पंचायत राज अधिनियम विधि अनुसार हो कर सही है। पक्षकारान के पूर्वज स्व० श्री खेमा पिता धन्ना जी धाकड़ के नाम जारीशुदा पट्टा दिनांक 01.07.1965 और वर्तमान हस्तगत निगरानी में विवादग्रस्त जारीशुदा पट्टा अलग अलग भूखण्ड का है। दोनों ही पट्टों के पड़ोस एवं साईज का अवलोकन किये जाने पर उक्त स्थित स्पष्ट हो जायेगी। हस्तगत निगरानी में वादग्रस्त पट्टा स्व० खेमा पिता धन्ना जी के नाम जारीशुदा पट्टे के पड़ोस एवं साईज में काफी भिन्नता है। इसलिये दोनों ही पट्टों का टाईटल अलग अलग हो कर अलग अलग टाईटल होल्डर है। यदि गैर निगराकार द्वारा पूर्वजों की सम्पत्ति हड़प ली गयी है तो उसे सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने हेतु चाराजोही करना चाहिये। निगराकार बैंक डोर एन्ट्री करना चाह रहा है। सिविल न्यायालय से प्राप्त होने वाली रेमेडी को न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत कर संक्षिप्त प्रकृिया के मार्फत रेमेडी प्राप्त करना चाहता है। निगराकार के कथनानुसार यदि इन्तजामी पत्रावली कायम की गयी तो इस पत्रावली में अवैध कब्जा तथा ऐसे विवादित पंचायत भूमि की निलामी नहीं हो सके तो पंचायत राज० अधि० के तहत प्रावधान हैं कि ऐसी भूमि को आपसी बातचीत के माध्यम से ही पंचायत भूमि का विक्रय किया जायेगा। अतएव जिस भूमि का अवैध कब्जा गैर निगराकार के पिता उंकार जी रहा था उस भूमि के वास्ते इन्तजामी पत्रावली कायम किया जाना ही न्यायोचति था। किन्तु निगराकार के इस कलम में वर्णित कथनों से तो यह




13/10
अति जिला कलेक्टर
भिलवाड़ा

कत्तई साबित नहीं होता है कि इन्तजामी पत्रावली वाली भूमि और खेमा के नाम जारीशुदा पट्टे वाली भूमि एक ही हो। यदि एक ही भूमि होती तो गैर निगराकार के पिता उंकार जी का अवैध नाजायज कब्जा कदापि नहीं ठहरता। निगराकार के इस कलम में वर्णित कथन ऑवर लेपिंग होकर एक दूसरे का कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उक्त दोनों ही कथन परस्पर विरोधाभाषी हो कर विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। निगराकार ने अपनी सम्पूर्ण निगरानी में एक भी ऐसा कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं किया जिसका वायलेसन किया गया है। निगरानी की पत्रावली में गुणावगुणों कर डिस्कस नहीं किया जा सकता है बल्कि निगरानी में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय किस प्रावधान का अवहेलना कारित की गयी है उसे स्पष्ट तौर पर उल्लेखित करना पड़ता है। ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त पट्टा जारी करते समय विधिवत पत्रावली कायम की जा कर विधिक प्रावधानों की पालना की जा कर वादग्रस्त पट्टा जारी किया गया है। इस कारण से निगरानी निगराकार सव्यय निरस्त होने योग्य है। यदि गैर निगराकार ने निगराकार की भूमि पर कोई कब्जा कर लिया है तो उसे सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त हो सकता है। निगरानी काफी देरीना समयावधि के बाद प्रस्तुत की जा रही है। जबकि मौके पर गैर निगराकारगण ने मिलिक्यत की दुकानों का निर्माण किया गया और दुकानों में व्यवसाय किया जा रहा है। इस प्रकार दुकानों का निर्माण एक दिन में तो होना संभव नहीं हो सकता है। दुकानों का निर्माण प्रारम्भ होते ही निगरानी प्रस्तुत कर दी जानी चाहिये। निगराकार के द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी में मुख्य कारणवाद दृष्टिगोचर नहीं होता है और हर एक कलम में द्विअर्थी प्लीडिंग्स पर प्रकरण के वास्तविक कानूनी परिधि से परे जा कर यह निगरानी असत्य, मिथ्या, बिना किसी विधिक आधार पर प्रस्तुत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार खारिज फरमाया जावे।



बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि गैर निगराकार संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारान के पूर्वज स्व० श्री खेमा पिता धन्ना जी धाकड़ के नाम जारीशुदा पट्टा दिनांक 01.07.1965 और वर्तमान हस्तगत निगरानी में विवादग्रस्त जारीशुदा पट्टा अलग अलग भूखण्ड का है।

इस हेतु पत्रावली परीक्षण से जाहिर आता है कि गैर निगराकार द्वारा ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नहीं किये गये, जिससे जाहिर हो सके कि वर्ष 1965

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

मे जारीशुदा पट्टा एवं वर्ष 1983 में जारीशुदा पट्टा अलग अलग भूखण्ड का हो। इस हेतु ग्राम पंचायत सलावटिया से जानकारी ली जाने पर यह तथ्य उजागर हुआ कि वर्ष 1965 एवं वर्ष 1983 दोनों एक ही भूखण्ड पर हैं तथा वर्तमान में निर्मित दुकानों पर निगराकार प्रभुलाल का कब्जा है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि गैर निगराकार ने वर्ष 1983 में विधि विरुद्ध जाकर एक नया पट्टा ग्राम पंचायत से जारी करवाया है, जो प्रारम्भ से ही शून्य घोषित होकर खारिज योग्य ठहरता है।

निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित किया कि पक्षकारान के पूर्वज खेमाजी की मृत्यु के बाद उक्त भूखण्ड उसके दोनों पुत्र उंकार व चुन्नीलाल ने आपसी विभाजन कर दक्षिण दिशा का भूखण्ड क्षेत्रफल करीब 39 फीट 83 फीट निगराकार के पिता चुन्नीलालजी के हिस्से में उत्तर दिशा का भूखण्ड 39 फीट बाई 96 फीट गैर निगराकार सं० 1 से 3 के पूर्वज उंकार पिता खेमाजी के हिस्से में रहा। किन्तु गैर निगराकारान के पिता उंकार जी ने उक्त सम्पूर्ण जायदाद का एक आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत गैर निगराकार सं० 4 की पत्रावली क्रमांक 38/2033 दिनांक 19.09.83 को अकेले अपने नाम पर करवा लिया, जबकि उक्त भूखण्ड पक्षकारान का पुश्तैनी होकर आपसी विभाजन से अपने अपने हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त भूखण्ड बाबत पत्रावली सं० 12/2022 से दिनांक 01.07.1965 को पक्षकारान के पूर्वज खेमा पिता धन्ना जी धाकड के नाम से पूर्व से बापी पट्टा जारी था। निगराकार द्वारा व्यक्त इन तथ्यों के खण्डन में गैर निगराकार द्वारा कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नहीं किये गये।

पत्रावली पर प्रस्तुत ईकरारनामा (राजीनामा) दिनांक 24.06.2022 अनुसार निगराकार एवं गैर निगराकार के मध्य पत्रावली संख्या 38/2033 को निरस्त कराया जाकर ग्राम पंचायत से दोनों पक्षों के हिस्से में आने वाले भूखण्ड का अपने अपने नाम से पट्टा बना लेंगे। दोनो पक्ष लडाईं झगडा नहीं करेंगे एवं राजीनामें की पालना करेंगे। इस प्रकार यह स्पष्टतः जाहिर होता है कि निगरानी के पक्षकारों के मध्य उनके पूर्वज खेमा की पट्टेशुदा जायदाद पर दोनो का हिस्सा एवं हक अधिकार निहित होता है। इस ईकरारनामें (राजीनामा) के खण्डन में गैर निगराकार द्वारा कोई तथ्य एवं प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नहीं किये गये है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत सलावटिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियमों का उल्लंघन कर गैर निगराकार संख्या 01 से 03 के पिता को



पत्रावली संख्या 38/2033 दिनांक 07.09.1983 के तहत जारी बापी पट्टा दिनांक 26.07.1984 विधि विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य ठहरता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सलावटिया को निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 01 से 03 के पूरे परिवार से संबंधित समस्त प्रकार के दस्तावेजात, दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 24.06.2022 को किये गये ईकरारनामा (राजीनामा) जिसमें पत्रावली संख्या 38/2033 को निरस्त कराने पर की गयी सहमति, मौके पर कब्जा, वर्ष 1965 व 1983-84 के पट्टे के संबंध में एक ही भूखण्ड का होना अथवा अलग-अलग स्थान पर होना, इस बाबत परीक्षण हेतु उभयपक्षों की मौजदूगी में परीक्षण किया जाकर पंचायतीराज अधिनियम के नियमों के तहत नये सिरे से नियमानुसार पट्टा जारी किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित ठहरता है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत सलावटिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियमों का उल्लंघन कर गैर निगराकार संख्या 01 से 03 के पिता को पत्रावली संख्या 38/2033 दिनांक 07.09.1983 के तहत जारी बापी पट्टा दिनांक 26.07.1984 विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सलावटिया को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 01 से 03 के पूरे परिवार से संबंधित समस्त प्रकार के दस्तावेजात, दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 24.06.2022 को किये गये ईकरारनामा (राजीनामा) जिसमें पत्रावली संख्या 38/2033 को निरस्त कराने पर की गयी सहमति तथा मौके पर कब्जा, एवं वर्ष 1965 व 1983-84 के पट्टों का एक ही भूखण्ड पर जारी होना अथवा अलग-अलग स्थान पर जारी होना, इस बाबत परीक्षण हेतु उभयपक्षों की मौजदूगी में परीक्षण किया जाकर पंचायतीराज अधिनियम के नियमों के तहत नये सिरे से नियमानुसार पट्टा जारी किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत सलावटिया को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Dr.
13.10.25
(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा